संख्या-199/2026/1852/22-2-2024-17(688)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2026

विषयः- जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पूनम देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-कासगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पूनम देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह, जो सेवर, थाना-ढोलना, जनपद-कासगंज की निवासी है। गांव का नेकसे पूनम को खुलेआम पत्नी बनाकर रखता था। जिसका विरोध पूनम का पति करता था। इसी कारण दोनो में झगडा होता था इसी कारण वह मानसिक तनाव में आकर दिनांक 15-12-2016 को फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/2017, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, कासगंज के दण्डादेश दिनांक 09.08.2021 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 19.07.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 06 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 02 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, कासगंज द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा पुलिस अधीक्षक, कासगंज की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पूनम देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी की 37 वर्ष की आयु एवं महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 19.07.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष 06 माह 27 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 02 माह, 21 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पूनम देवी (बन्दी संख्या-52/21) पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-कासगंज की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-199/2026/1852(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।